

क्रमांक प. 16(1)वि.मा./2024

जयपुर, दिनांक 19 नवम्बर, 2024

**अधिसूचना**

भारत सरकार के गृह मंत्रालय की अधिसूचना संख्या 20/25/56 पब 1 दिनांक 8 जून, 1957 के साथ पठित परक्राम्य लिखित अधिनियम, 1881 (1881 का अधिनियम 28) की धारा 25 के स्पष्टीकरण के अधीन राजस्थान के राज्यपाल एतद्वारा घोषणा करते हैं कि राजस्थान में वर्ष 2025 में उक्त अधिनियम के अधीन संचालित संस्थाओं में निम्नांकित दिनांक को सार्वजनिक अवकाश रहेंगे:-

क्र.सं.	अवकाश का नाम	ग्रेगोरियन कलेण्डर दिनांक	दिन का नाम
1	महाशिवरात्रि	26.02.2025	बुधवार
2	धुलण्डी	14.03.2025	शुक्रवार
3	ईदुलफितर*	31.03.2025	सोमवार
5	श्री महावीर जयन्ती	10.04.2025	गुरुवार
6	डा. अम्बेडकर जयन्ती	14.04.2025	सोमवार
7	ईदुलजुहा*	07.06.2025	शनिवार
8	स्वतंत्रता दिवस	15.08.2025	शुक्रवार
9	श्रीकृष्ण जन्माष्टमी	16.08.2025	शनिवार
10	नवरात्रा स्थापना	22.09.2025	सोमवार
11	दुर्गाष्टमी	30.09.2025	मंगलवार
12	गांधी जयन्ती एवं विजयदशमी	02.10.2025	गुरुवार
13	दीपावली	20.10.2025	सोमवार
14	गोवर्धन पूजा	22.10.2025	बुधवार
15	गुरु नानक जयन्ती	05.11.2025	बुधवार
16	क्रिसमस डे	25.12.2025	गुरुवार

\*घोंद दिखाई देने की दशा में।

वर्ष 2025 में एन.आई. एक्ट, 1881 के तहत दिनांक 01.04.2025 (मंगलवार) को वार्षिक बैंक लेखा बन्दी अवकाश रहेगा।

नोट :- द्वितीय शनिवार एवं रविवार होने के कारण निम्नलिखित अवकाशों को उक्त सूची में सम्मिलित नहीं किया गया है:-

क्र.सं.	अवकाश का नाम	ग्रेगोरियन कलेण्डर दिनांक	दिन का नाम
1	मणलत्र दिवस	26.01.2025	रविवार
2	रामनवमी	06.04.2025	रविवार
3	मोहर्रम (ताजिया)*	06.07.2025	रविवार
4	रक्षाबंधन	09.08.2025	शनिवार (द्वितीय)

राज्यपाल की आज्ञा से,

  
(पवन जैन) 19.11.24  
संयुक्त शासन सचिव